Annexure – A

KEY DATES

S. No	Works Department Stage	Start		Envelop
		Date	Time	
1	Purchase of Tender Start Date – Online	06-05-2026	17:30 PM	-
	Purchase of Tender End Date – Online	23-05-2026	17:30 PM	-
2	Bid Submission End Date –Online	23-05-2026	17:30 PM	
3	Mandatory submission Open (Envelope- A)	25-05-2026	10:30 AM	Envelope A

Original term deposit receipt of earnest money deposit, demand draft for the cost of bid document and affidavit shall be submitted by the bidder so as to reach the office as prescribed in Bid Data Sheet, at least one calendar day before specified start time and date in key dates for opening of technical proposal as per Key dates in Bid Data Sheet.

Annexure – B

|| AFFIDAVIT ||

(To be Contained in Envelope A)

(On Non Judicial Stamp of Rs. 100)

I/we ____ who is/ are_______________________ (status in the firm/ company) and competent for submission of the affidavit on behalf of M/S _______________________ (contractor) do solemnly affirm an oath and state that:

I/we am/are fully satisfied for the correctness of the certificates/records submitted in support of the following information in bid documents which are being submitted in response to notice inviting e-tender No. ______________ for

___________________________ (name of work) dated _______ issued by the________________ (name of the department).

I/we am/ are fully responsible for the correctness of following self-certified information/ documents and certificates:

1. That the self-certified information given in the bid document is fully true and authentic.
2. That:

    a. Term deposit receipt deposited as earnest money, demand draft for cost of bid document and other relevant documents provided by the Bank are authentic.
    b. Information regarding financial qualification and annual turnover is correct.
    c. Information regarding various technical qualifications is correct.

3. No close relative of the undersigned and our firm/company is working in the department.

OR

Following close relatives are working in the department:

Name _______________ Post ____________________ Present Posting ___________

Signature with Seal of the Deponent (bidder)

I/ We, _____________________ above deponent do hereby certify that the facts mentioned in above paras 1 to 4 are correct to the best of my knowledge and belief. In the event of any information is found to be incorrect/untrue or found violated, then without giving any prior notice our bid shall be lible for rejection or termination of of contract, without prejudice to any other rights of remedy including the forfeiture of the bid security / performance security.

Verified today _____________ (dated) at ______________ (place).

Signature with Seal of the Deponent (bidder)

कार्यालय नगर परिषद् देवेन्द्रनगर जिला पन्ना (म0प्र0)

Email – cmoDevendranagar@mpurban.gov.in

–: नीलामी शर्तें :–

बस स्टेण्ड के प्रथम तल पर नगर परिषद स्वामित्व की दुकान क्र0 01 से 17 की प्रीमियम एवं मासिक किरायेदारी पर 30 वर्ष के लिये ई – निविदा प्राप्त कर आवंटित की जावेगी :–

नीलामी की शर्तें निम्नानुसार है :–

01. नगर परिषद देवेन्द्रनगर की स्वामित्व की निर्मित दुकान जिनको शासन नियमानुसार आरक्षित रखा गया है। ई – निविदा में भाग लेने बावत् अमानत राशि 10000/– रूपये मात्र जमा की जावेगी। सभी दुकानों की ई– निविदा निर्धारित प्रीमियम राशि से प्रारम्भ की जावेगी। निर्धारित प्रीमियम राशि से कम ई – निविदा मान्य नहीं की जावेगी। निविदा शर्त की कीमत 2000/– रू. (दो हजार रू.) मात्र है। जो ई– निविदा में भाग लेने वाले व्यक्ति को अमानत राशि जमा करने के पहले क्रय करनी होगी। निविदा में भाग लेने के पूर्व वर्तमान समय की एक पासपोर्ट साईज की फोटो प्रस्तुत करनी होगी।
02. किसी व्यक्ति की एक दुकान में उच्चतम प्रस्ताव हो जाने पर किसी अन्य दूसरी दुकान में प्रीमियम की टेण्डर लगाने हेतु पुनः शर्तनामा फार्म क्रय कर भरना होगा। तथा 10000/– अमानत राशि जमा करना अनवार्य होगा। अन्यथा दूसरी दुकान के टेण्डर में भाग नही ले सकेगा। यानि प्रत्येक दुकानवार अलग– अलग फार्म, अमानत एवं आवेदन आदि जमा करना होगा।
03. उच्चतम टेण्डर/प्रस्ताव अधिनियम की धारा 109 में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारियों की मंजूरी के अध्यधीन होगा। अमानत राशि ई–निविदा पद्वति से जमा दर्शित न होने पर उच्चतम प्रीमियम बोली राशि की बिड नहीं खोली जावेगी।
04. अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित दुकान के आवेदकों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
05. विधवा महिला के लिये आरक्षित दुकान के आवेदकों को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
06. सभी संवर्ग के निविदादाताओं को आधारकार्ड निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
07. उपरोक्त शर्त (दो) में यथा निर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी प्रस्ताव को मंजूर करने के लिये बाध्य नहीं होगें।

११. सफल निविदि दाताओं [illegible] टेण्डर खोले जाने के पश्चात शेष टेण्डर दाताओं की प्रतिभूति निधि ऑनलाईन बैंक एकाउण्ट में वापिस किया जायेगा।

१२. यदि कार्य [illegible] में कार्यान्वित अधिकारी को यह ज्ञात हो कि दुकान का आवंटन करने के बजाय पुनः टेण्डर किया जाना या पुनः [illegible] आमंत्रित किया जाना आवश्यक है तब ऐसे समस्त टेण्डर दाताओं की प्रतिभूति निधि का प्रतिदाय कर दिया जायेगा और पुनः टेण्डर में [illegible] आवंटन करने की कार्यवाही की जायेगी।

१३. प्रत्येक दुकान का मासिक भू-भाटक/किराया का निर्धारण शासन द्वारा जारी आदेश [illegible] एवं समय-समय में प्रकाशित संशोधित [illegible] एवं [illegible] के अनुसार होगा।

१४. आवेदक व्यक्ति अथवा उसके वारिस [illegible] की [illegible] अनिवार्य होगा।

१५. दुकान किरायेनामे अनुबंध ३० वर्ष की समयावधि के लिये किया जायेगा; समयावधि समाप्त होने के पश्चात दुकान किरायेदार को ३० दिवस के अंदर अनुबंध का नवीनीकरण कराना होगा। समयावधि के किरायेदारी अनुबंध नवीनीकरण न कराने की दशा में यह समझा जायेगा कि दुकान की आवश्यकता किरायेदार अनुबंध नवीनीकरण की नहीं है तथा दुकान किरायेदार से नगर परिषद रिक्त करा लेगी। तथा उसकी पूरा निक्षेप [illegible] होगा।

१६. नगर परिषद की परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार बनाये गये नियमों में संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार नगर परिषद [illegible] को होगी।

१७. नगर परिषद दुकान के आगे खाली सड़क की दुकान में [illegible] दुकान का [illegible] निर्मित कर सकेगा। जिस पर दुकान किरायेदार किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकेगा। [illegible] की दुकान का नगर परिषद [illegible] द्वारा किराये से दे सकेगी अथवा परिषद [illegible] अनुबंध [illegible] कर सकेगी जिस पर किरायेदार को आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। दुकानों के [illegible] का स्वामित्व नगर परिषद [illegible] का होगा।

१८. आवंटित दुकान को आवश्यक निर्माण के पश्चात ही हस्तांतरित की जायेगी। जो जिस वर्ग के व्यक्तियों द्वारा दुकान [illegible] दुकान किरायेदार [illegible] जायेगी उसी वर्ग के व्यक्तियों को ही हस्तांतरित की जा सकेगी। अन्य वर्ग के व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी और न ही अन्य वर्ग के व्यक्तियों को [illegible] रखा जायेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अन्य वर्ग के व्यक्तियों को हस्तांतरित की जाती है या [illegible] रखा जाता है तो नगर परिषद द्वारा दुकान आवंटन निरस्त कर अमानत राशि तथा प्रीमियम राशि राजसात कर ली जायेगी तथा [illegible]

करा लेगी जिस पर किरायेदार किसी भी प्रकार की आपत्ति या क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकेगा।

16. दुकान में किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ का या परिवर्तन /परिवर्धन दुकानदार नहीं कर सकेगा तथा दुकान के सामने किसी भी प्रकार का अतिकमण नहीं करेगा एवं दुकान के बाहर ओवर हैंगिंग नही लगाई जा सकेगी। सफाई बिजली व पानी की व्यवस्था दुकानदार को स्वतः स्वयं के व्यय से करनी होगी। तथा दुकान के ऊपर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के लिये नगर परिषद देवेन्द्रनगर पूर्ण स्वतंत्र रहेगी।

17. स्वामी या उसके प्राधिकृत अधिकारी को जब भी दो प्रतिष्ठिन ग्वाहन के द्वारा या समाधान हो जायेगा कि आवंटी द्वारा स्वयं व्यवसाय न कर उक्त दुकान अन्य व्यक्ति को किराये से अन्य लाभ उठाई जा चुकी है जो जमा अमानत राशि राजसात (जप्त) कर जरिये बिना किसी सूचना के कब्जा हटा दिया जावेगा।

18. दुकान में मादक वस्तुओं, विस्फोटक पदार्थ जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल,रसायनिक खाद्य एवं नमक या किसी प्रकार का अन्य कार्य जिसमें प्रदूषण होने की संभावना हो को छोड़कर अन्य जनहितेसी व्यवसाय के लिये दी जावेगी। उपरोक्त वर्णित शर्तो में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पाये जाने पर दुकान के उपयोग की स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी। तथा नगर परिषद देवेन्द्रनगर दुकान खाली कराकर कब्जा वापिस ले लेगी।

19. किसी भी दिवालिया/सजायाफ्ता को या उस व्यक्ति को जिस पर या जिसके परिवार के किसी सदस्य पर परिषद का कोई कर शुल्क देय बकाया होने पर दुकान प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

20. किसी भी दशा में दुकान में मदिरा तथा मासाहार का रखना तथा बेचना प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वयं की मदिरा एवं मासाहार का उपयोग वहां नही किया जावेगा।

21. किसी भी प्रकार विवाद उत्पन्न होने की दशा में या अनुबंध की शर्तो के निर्वहन के संबंध में विवाद होने पर विवाद मु.न.पा. नगर परिषद देवेन्द्रनगर को प्रस्तुत किया जावेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

22. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा आरोपित कर/शुल्क/ अन्य प्रभारों का भुगतान किरायेदार द्वारा किया स्वयं जायेगा।

23. किरायेदार किसी ऐसी गतिविधि का कियान्वयन नहीं करेगा। जो विधि के अनुसार अनुज्ञेय नहीं है। और आसपास के रहवासियों अथवा आमजन की शान्ति तथा सुरक्षा को प्रभावित करती हो।

24. किरायेदार अतिरिक्त अतिकमण अथवा अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

25. मु.न.पा. अधिकारी लोकहित में दुकान में सुधार करवायेगा अथवा किरायेदार को दुकान में सुधार करने के लिये निर्देश दे सकेगा।

26. किरायेदार को नियमानुसार स्वयं के व्यय से विद्युत एवं नल संयोजन कराना होगा। किन्तु दुकान में विद्युत एवं नल संयोजन किरायेदार के नाम से होने पर उसे दुकान के संबंध में किसी स्वत्व का हक नहीं होगा।

27. किरायेदार को वर्तमान माह का किराया उसी माह की 30 तारीख तक मासिक किराये की राशि कार्यालय में उपस्थित होकर जमा करेगा, आगामी तारीख के पश्चात 10% किराये की राशि के साथ लेटफीस (सरचार्ज) के रूप में जमा करना होगा। मासिक किराये की राशि 03 माह तक जमा न होने पर 30 दिवस की सूचना देकर नगर परिषद देवेन्द्रनगर किरायेदारी समाप्त कर पुनः निविदा की कार्यवाही किरायेदार को आपत्ति का हक नहीं होगा।

28. किरायेदार की मृत्यु होने पर उसके विधिक उत्तराधिकारी द्वारा नामान्तरण का आवेदन दिये जाने पर रू. 5000/– जमा करके नामांतरण किया जा सकेगा।

29. सम्पत्ति (दुकान) का विधि पूर्ण अंतरण हो जाने पर दुकान का नामांतरण किया जा सकेगा। नामांतरण प्रभारों की परिगणना प्रीमियम/शासकीय मूल्य जो अधिक हो का 2 प्रतिशत की दर से की जावेगी किन्तु नामान्तरण शुल्क 5000.00 से कम नहीं होगा। नामान्तरण के उपरांत नवीन आवंटिती तथा नगरीय निकाय के मध्य पुनः पूर्व शर्तों का उल्लेख करते हुये बकाया अवधि के लिये संबंधित अनुवंध करवाया जावेगा जिसके पंजीकरण आदि में होने वाला समस्त व्यय नवीन आवंटिती द्वारा वहन किया जावेगा। नातान्तरण के उपरांत पूर्ण आवंटिती के साथ किया गया अनुवंध निरस्त समझा जावेगा। आरक्षित प्रवर्ग की दुकानों का उसी संवर्ग में नामान्तरण किया जा सकेगा।

30. अनुवंध का पंजीयन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अनुसार किया जावेगा अनुवंध के संबंध में देय स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रीकरण के प्रभार इत्यादि किरायेदार द्वारा वहन किया जायेगा। परिषद/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी का आदेश अंतिम व मान्य होगा।

31. मुख्य नगर पालिका अधिकारी लोक हित एवं नवीन योजना प्रस्तावित होने की दशा में दुकान का आवंटन निरस्त कर सकेगा, जिसके संबंध में आपत्ति या क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार किरायेदार को नहीं होगा।

32. टेण्डर/निविदा स्वीकृत करने का या न करने का अधिकार नगर परिषद देवेन्द्रनगर को होगा। परिषद का दिया गया निर्णय अंतिम होगा जो सभी टेण्डर दाताओं को मान्य होगा।

33. उपरोक्त सभी शर्तो का पालन किरायेदार को किया जाना अनिवार्य होगा।

34– दुकानों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्रमांक	दुकान क्र0	दुकान का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	आरक्षण की स्थिति	प्रीमियम राशि (लाख रू0 में)
1	1	10.10	अनारक्षित	550000.00
2	2	10.10	अनुसूचित जाति(SC)	550000.00
3	3	10.10	अनारक्षित	550000.00
4	4	10.10	अनारक्षित	550000.00
5	5	7.09	अनारक्षित	386000.00
6	6	12.47	अनारक्षित	565000.00
7	7	12.04	अनारक्षित	656000.00
8	8	12.90	अनारक्षित विधवा महिला	700000.00
9	9	12.47	अनारक्षित	680000.00
10	10	12.47	अनारक्षित	680000.00
11	11	15.17	अनुसूचित जन जाति(ST)	868000.00
12	12	13.12	अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC)	733000.00
13	13	18.65	अनारक्षित	1017000.00
14	14	15.75	अनुसूचित जाति (SC)	858000.00
15	15	16.05	अनुसूचित जाति (SC)	900000.00
16	16	16.75	अनारक्षित	913000.00
17	17	12.93	अनारक्षित	705000.00

35. दुकान आवंटन पश्चात प्रथम किश्त 50 प्रतिशत नीलामी सूचना मिलने पर जमा करना होगी एवं 50 प्रतिशत राशि अनुवंध निष्पादन के पूर्व जमा करनी होगी।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद देवेन्द्रनगर
जिला पन्ना (म.प्र.)

अध्यक्ष
नगर परिषद देवेन्द्रनगर
जिला पन्ना (म.प्र.)

Signature Not Verified
Digitally signed by KRISHNA KUMAR TIWARI
Date: 2026.05.06 17:21:52 IST
Location: Madhya Pradesh-MP